संख्या- 18/606/बयालिस-2016-02(बजट)/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2016**

विषय :- बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1533/नि0स्पो0का0 गोरखपुर एस्ट्रोटर्फ पत्रा0/2015-16, दिनांक 28 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1703/बयालिस-2015-02(बजट)/2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 694.55 लाख के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू0 347.30 लाख निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 252.70 लाख (रू0 दो करोड़ बावन लाख सत्तर हजार मात्र) निर्गत करने की अवशेष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 252.70 लाख (रू0 दो करोड़ बावन लाख सत्तर हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- शासनादेश संख्या- 1703/बयालिस-2015-02(बजट)/2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6101-एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 18/606(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर।
(7)- प्रधानाचार्य, बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर।
(8)- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कैम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in